UPSR040012312026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/598/2026

राज्य बनाम. सोनू

दिनांक–10.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा संख्या–4864/2025 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०द०स० थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती में अभियुक्तगण **सोनू, नूरजहाँ व शीबू** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उन्हें फर्जी तरीके से हैरान व परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वे निर्दोष हैं। अतः उन्हें उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण की ओर से स्वयं को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया जिस पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण की प्रथम उपस्थिति है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र आ चुका है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

अतः अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रत्येक अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।